अध्याय–I

प्रस्तावना

1.1. भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में राजस्व हिस्सेदारी प्रणाली की उत्पत्ति

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति–1994 (एन.टी.पी.– 94) ने निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को संचार नेटवर्कों को स्थापित करने की अनुमति देकर दूरसंचार क्षेत्र में प्रतियोगिता के माहौल की शुरूआत की। एन टी पी–94 के प्रथम चरण में, सेलुलर मोबाइल दूरसंचार सेवा (सी.एम.टी.एस.) के लिए आठ लाईसेंस नवम्बर 1994 में चार महानगरों–दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई में जारी किये गये। तत्पश्चात् (1995 से 1998 के दौरान) 14 निजी कम्पनियों को 18 दूरसंचार परिमंडलों के लिए 34 लाईसेंस जारी किये गये। इन लाईसेंसधारको का चयन एक नीलामी प्रक्रिया द्वारा किया गया एवं इनको सरकार को एक तय शुदा वार्षिक लाईसेंस शुल्क अदा करना था जो कि नीलामी की प्रक्रिया के दौरान तय किया गया था।

1.2. नयी दूरसंचार नीति–1999

एन टी पी–94 की प्रत्याशाओं के अनुरूप दूरसंचार क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी कार्यान्वित नहीं हो पायी क्योंकि निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने वित्तीय बाधाओं की शिकायत की एवं तयशुदा लाईसेंस शुल्क की भुगतानों में चूक की। नयी दूरसंचार नीति–1999 (एन टी पी–99) ने राजस्व हिस्सेदारी प्रणाली की शुरूआत की जिसके अन्तर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को तयशुदा लाईसेंस शुल्क के स्थान पर अपने समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) के प्रतिशत के रूप में लाईसेंस शुल्क का भुगतान करना था।

सरकार ने मौजूदा लाईसेंसधारियों को तयशुदा लाईसेंस शुल्क–प्रणाली से राजस्व हिस्सेदारी प्रणाली में स्थानान्तरण करने हेतु दिनांक 1 अगस्त 1999[1] से एक स्थानान्तरण पैकेज प्रस्तावित किया एवं 21 लाईसेंसधारी कम्पनियां[2] नई प्रणाली में स्थानान्तरण हुआ **(अनुलग्नक–1.01)**। इस स्थानान्तरण पैकेज के अनुसार, लाईसेंसधारियों को एक बार देय प्रवेश शुल्क एवं ए जी आर का प्रतिशत लाईसेंस शुल्क के रूप में भुगतान करना था जिसे बाद में तय होना था। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के सिफारिशों के आधार पर तय होने वाली राजस्व हिस्सेदारी की मात्रा को अंतिम रूप देने एवं अन्य निबन्धन एवं शर्तों के तय होने तक, लाईसेंस शुल्क को आरम्भ में सकल राजस्व (जी आर) का 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया।

देश को 23[3] (वर्तमान में 22) लाइसेंस सेवा क्षेत्रों (एल एस ए) में विभक्त किया गया जिन्हे 'ए','बी', एवं 'सी' एल एस ए में वर्गीकृत किया गया जिसे नीचे दिखाया गया है :–

---

1 प्रवास पैकेज द्वारा निजी सेवा प्रदाताओं को दिए गए लाभों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा की गयी एवं निष्कर्षों को वर्ष 2000 के प्रतिवेदन संख्या–6 में बताया गया था।

2 20 निजी कम्पनियाँ एवं एक पी. एस. यू.–महानगर दूरसंचार निगम लिमिटेड

3 देश को 23 सेवा क्षेत्रों में बाँटा गया जिसमें 19 दूरसंचार परिमंडल एवं 4 मेट्रो परिमंडल थे। तत्पश्चात् चेन्नई सेवा क्षेत्र को तमिलनाडू सेवा क्षेत्र के साथ 15 सितम्बर 2005 से विलय कर दिया गया एवं इस प्रकार वर्तमान में कुल 22 सेवा क्षेत्र हैं।

तालिका – 1.1

एल एस ए का वर्ग	नाम
ए	दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, तमिलनाडु (चेन्नई सहित), आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र
बी	हरियाणा, केरल, मध्यप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), पश्चिम बंगाल
सी	असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर पूर्व, उड़ीसा

वर्ष 2001 में, सरकार ने निबंधन एवं शर्तों सहित जी आर एवं ए जी आर की परिभाषा को अंतिम रूप दिया एवं नये लाईसेंस जारी किये। इसके अलावा, लाईसेंस शुल्क को सभी परिमंडलों में 15 प्रतिशत की अंतरिम दर से घटाकर वर्ग–'ए', 'बी' एवं 'सी' एल एस ए के लिए क्रमशः 12 प्रतिशत, 10 प्रतिशत एवं 8 प्रतिशत किया गया।

साथ ही साथ निजी क्षेत्र के लिए नैशनल लॉंग डिसटेन्स (एन एल डी) सेवाऐं एवं इन्टरनैशनल लॉंग डिसटेन्स (आई एल डी) सेवाऐं भी क्रमशः अगस्त 2000 एवं अप्रैल 2002 से खोल दी गयी थी।

1.3. यूनिफाइड एसेस सर्विस लाइसेन्स (यू ए एस एल) तथा यूनिफाइड लाइसेन्स (यू एल)

एन टी पी–94 तथा एन टी पी–99 के अन्तर्गत एक एल एस ए में बेसिक एवं सी एम टी एस सेवाऐं प्रदान करने के लिए अलग लाईसेंस जारी किये गये थे। वर्ष 2001 में भारत में ''बेसिक सर्विस ऑपरेटरों'' (बी एस ओ) को यह अनुमति दी गयी कि वे अपने कवरेज क्षेत्र में कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस (सी डी एम ए) प्रौद्योगिको का प्रयोग वायरलेस लोकल लूप (डब्ल्यू एल एल (एम)) पर करके लिमिटेड मोबीलिटी सेवाऐं प्रदान करें।

जैसे–जैसे बी एस ओ द्वारा दी गई डब्ल्यू एल एल (एम) सेवाओ की लोकप्रियता बढ़ी, बी एस ओ तथा मोबाइल कम्यूनिकेशन (जी एस एम) के लिये सी एम टी एस ऑपरेटरों में विवाद उभरने लगा। 11 नवम्बर 2003 को सरकार ने ट्राई द्वारा प्रस्तावित यूनिफाइड एसेस सर्विस लाइसेंसिंग (यू ए एस एल) प्रणाली को अनुमोदित कर दिया जिसमे बेसिक एवं सेलुलर सेवाओं के लिए एकल लाइसेन्स था। यूनिफाइड एसेस सर्विस लाईसेंसधारी एक सेवा क्षेत्र में किसी भी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर वायरलाइन और वायरलेस सेवाऐं प्रदान कर सकता है।

मौजूदा बी एस ओ एवं सी एम टी एस ऑपरेटरों को यह विकल्प दिया गया (नवम्बर 2003) था कि वे मौजूदा लाइसेन्सों के साथ रहे या यू ए एस एल प्रणाली[4] की ओर प्रवासित करें। इसके बाद एसेस सेवाओं के लिए केवल यू ए एस लाइसेन्स ही जारी किये गये थे। अगस्त 2013 के बाद, यूनिफाइड लाइसेन्स प्रणाली को लागू किया गया जिसके अन्तर्गत एक लाईसेंसधारी सभी दूरसंचार सेवाऐं प्रदान कर सकता था (एसेस सेवाऐं, कैरियर सेवाएँ एवं डेटा सेवाएँ)

4 सभी सी एम टी एस लाईसेंसधारी यू ए एस एल प्रणाली की ओर प्रवासित नहीं हुए। इसके अतिरिक्त, राजस्व हिस्सेदारी की शर्तें यू ए एस एल एवं सी एम टी एस लाईसेंस दोनों के लिए एक सी ही थी।

1.4. सकल राजस्व (जी आर)/समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) की परिभाषा पर लाइसेन्स अनुबन्ध में प्रावधान

यूनिफाइड लाइसेन्सों की शुरूआत के पहले विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए अलग–अलग लाइसेन्स जारी किए गये थे, उदाहरणस्वरूप यूनिफाइड एसेस सर्विस (यू ए एस), नेशनल लॉंग डिसटेन्स (एन एल डी) सर्विस, इन्टरनेशनल लॉंग डिसटेन्स (आई एल डी) सर्विस, वेरी स्मॉल एपेरचर टर्मिनल (वी एस ए टी) सर्विस तथा इन्टरनेट सेवाएँ। सकल राजस्व (जी आर), वसूलियाँ एवं समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) की परिभाषाएँ जो कि सम्बन्धित लाइसेन्सों में दी गयी हैं निम्नलिखित हैं:–

(ए) यू ए एस एल अनुबन्ध के खण्ड 19 के तहत ए जी आर निकालने के लिए जी आर एवं अनुमत्य वसूलियों को परिभाषित किया गया था। खण्ड 19.1 के अनुसार जी आर में अन्य विविध राजस्व सम्बन्धित मदों के खर्चों को घटाए (सेट आफ) बगैर इन्सटॉलेशन प्रभार, विलम्ब शुल्क, हैंडसेट (अन्य किसी टर्मिनल उपस्कर आदि) की बिक्री आय, ब्याज से राजस्व, लाभांश, मूल्य वर्धित सेवाएँ, अनुपूरक सेवाएँ, एसेस या इन्टरकनेक्शन प्रभार, रोमिंग प्रभार, अवसंरचना के अनुमत्य हिस्सेदारी से प्राप्त राजस्व इत्यादि शामिल हैं।

जैसा कि अनुबंध के खण्ड 19.2 में यह उल्लेख किया गया है, कि ए जी आर निकालने के लिए जी आर से निम्नलिखित को घटाया जाएगा:–

(i) भारत के अन्दर अन्य योग्य/हकदार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वास्तविक भुगतान किया गया पी एस टी एन[5] सम्बन्धित कॉल प्रभार (एसेस चार्ज);

(ii) अन्य योग्य/हकदार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिया गया वास्तविक रोमिंग राजस्व, तथा

(iii) सेवाएँ प्रदान करने के लिये सेवा कर एवं बिक्री कर जिसका वास्तविक रूप में सरकार को भुगतान किया गया था, यदि सकल राजस्व में बिक्री कर एवं सेवा कर शामिल थे।

(बी) एन एल डी सेवाओं के लिए जी आर/ए जी आर को एन एल डी अनुबंध के संलग्नक–II के खण्ड–31 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया था जिसमें यह प्रावधान है कि ''राजस्व के प्रतिशत को लाइसेन्स शुल्क के रूप में लगाने के लिये राजस्व का अर्थ लाईसेंसधारक को लाइसेन्स के अन्तर्गत एन एल डी सेवा प्रदान कराके प्राप्त हुआ कुल सकल उपार्जित राजस्व आय जिसमें अनुपूरक/मूल्य वर्धित सेवाओ से एवं अवसंरचना की लीज पर देने से, ब्याज, लाभांश आदि से प्राप्त हुआ राजस्व, शामिल होगा तथा इसमे से अन्य सेवा प्रदाताओं जिनके नेटवर्क के साथ लाईसेंसधारक का एन एल डी नेटवर्क कॉल वहन के लिए अन्तः सम्बन्ध है, को देय पास थ्रू प्रकृति के घटक भाग द्वारा घटाया जायेगा।

(सी) आई एल डी सेवाओं के लिए जी आर/ए जी आर की परिभाषा को आई एल डी अनुबंध के परिभाषा एवं ब्याख्या भाग के खण्ड–36 के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया था जिसमें यह प्रावधान है कि ''सकल राजस्व के अन्तर्गत लाईसेंसधारक को उपर्जित सभी राजस्व जिसमें माल प्रदान करने से, सेवाएँ प्रदान करने से, अवसंरचना की लीज पर देने से, इसके संसाधनों को दूसरों द्वारा प्रयोग करने से, आवेदन शुल्क से, इन्सटॉलेशन प्रभार से, कॉल दरों से, विलम्ब शुल्क से, यंत्रों की बिक्री आय से, (टर्मिनल उपस्कर, जिसमें एसेसोरिज भी शामिल हैं,) हैंडसेटों से, बैंडविड्थ से, मूल्य

5 पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क

वर्धित सेवाओं से आय, सप्लीमेंटरी सेवाओं से, एसेस या अन्तः सम्बन्ध प्रभारों से, अवसंरचना आदि को भाड़े पर देने के लिए किसी प्रकार का लीज या किराया प्रभार से एवं अन्य विविध मदों से, जिनमें ब्याज, लाभांश आदि शामिल हैं, सम्बन्धित मदों के लिये खर्चे को घटाऐ बिना (सेट–आफ) जो भी राजस्व प्राप्त हुए हैं, शामिल होगे।

ए जी आर जो कि वह राजस्व है जिसके प्रतिशत के रूप में लाइसेंस शुल्क लगाया जायेगा का अर्थ वह सकल राजस्व होगा जिसमें से निम्न घटाया गया हो :–

(i) कॉल वहन हेतु अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भुगतान किया गया वास्तविक कॉल प्रभार (एसेस प्रभार)

(ii) सेवाएँ प्रदान करने के लिये सेवा कर एवं बिक्री कर जिसका वास्तविक रूप में सरकार को भुगतान किया गया था, यदि सकल राजस्व में घटक के रूप में सेवा कर एवं बिक्री कर शामिल थे।

(डी) लाइसेन्स अनुबन्ध के अनुसार इन्टरनेट सेवाओं जिसमें इन्टरनेट टेलीफोनी (आई एस पी–आई टी) भी शामिल है, के लिए जी आर की परिभाषा यह बताती है कि ''जी आर में अन्य विविध राजस्व आदि सम्बन्धित मदों को लिये खर्चे को घटाए (सेट–आफ) बिना इन्टरनेट एसेस सेवा, इन्टरनेट कन्टेन्ट सेवा, इन्टरनेट टेलीफोनी सेवा, इन्सटॉलेशन प्रभार, विलम्ब शुल्क, टर्मिनल उपस्कर के बिक्री से आय, ब्याज से प्राप्त राजस्व, लाभांश, मूल्य वर्धित सेवाएँ, सप्लीमेंटरी सेवाएँ, अवसंरचना के अनुमत्य हिस्सेदारी से प्राप्त राजस्व एवं समावेशित होगी।

ए जी आर निकालने के उद्देश्य के लिए, जी आर से निम्नलिखित को बाहर रखा जाएगा :–

(i) इन्टरनेट एसेस से प्राप्त प्रभार, इन्टरनेट कन्टेन्ट एवं इन्टरनेट एसेस से सम्बधित इन्सटॉलेशन प्रभार

(ii) सेवाऐ प्रदान करने के लिये सेवा कर एवं बिक्री कर जिसका वास्तविक रूप में सरकार को भुगतान किया गया था, यदि जी आर में घटक के रूप में सेवा कर एवं बिक्री कर शामिल थे।

(ई) वी एस ए टी (वी–सेट) लाइसेन्स अनुबंध में विर्निदिष्ट जी आर की परिभाषा के अनुसार, ''सकल राजस्व के अन्तर्गत लाईसेंसधारक को उपार्जित सभी राजस्व जिसको उत्पाद प्रदान करने से, सेवाएँ प्रदान करने से, अवसंरचना को लीज/भाड़े पर सेवाएँ देने से, इसके संसाधनों को दूसरों द्वारा प्रयोग करने से, आवेदन शुल्क से, इन्सटॉलेशन प्रभार से, कॉल दरों से, विलम्ब शुल्क से, यंत्रों की बिक्री के लाभ से (या किसी टर्मिनल उपस्कर, जिसमें एसेसोरिज भी शामिल हैं), की वी एस ए टी (वी–सेट) हॉर्डवेयर/सॉफ्टवेयर से, वार्षिक रखरखाव संविदा/वार्षिक व्यापक रखरखाव संविदा से प्राप्त शुल्क से, मूल्य वर्धित सेवाओं से प्राप्त हुई आय से, सप्लीमेंटरी सेवाओं से, एसेस या इन्टरकनेक्शन प्रभार आदि से एवं अन्य विविध मदों से, जिनमें ब्याज, लाभांश आदि सहित हैं, सम्बन्धित मदों के लिये किसी खर्चे को घटाए (सेट–आफ) बिना, जो भी राजस्व प्राप्त हुए सभी शामिल हैं।

वह आय जिसका प्रतिशत लाईसेंस शुल्क लगाया जायेगा वी एस ए टी सेवाऐ प्रदान करने के दौरान उपार्जित कुल सकल राजस्व होगी किन्तु इससे निम्नलिखित को बाहर रखा जाएगा :–

(i) अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, जिनके नेटवर्क के साथ लाईसेंसधारक का नेटवर्क डाटा कैरेज के लिए अन्तः सम्बन्धित है, को किये गये पास थ्रू प्रकृति के प्रभार का वास्तविक भुगतान

(ii) सरकार को भुगतान किया गया सेवा कर, यदि सकल राजस्व में सेवा कर का घटक शामिल है

1.5. राजस्व एवं एल एफ के भुगतान पर यु ए एस एल अनुबंधो में विनियम

दूरसंचार विभाग एवं सेवा प्रदाताओं के बीच हुए लाइसेन्स अनुबंध में लाईसेंसधारी कम्पनियों को लेखो को बनाने, उनकी रिपोर्टिंग तथा सरकार को भुगतान किए गए लाइसेन्स शुल्क के लिए सुनिश्चित व विशेष खण्ड/मानक थे। इन खण्डों/मानकों ने यह रेखांकित किया कि यद्यपि यह लाईसेंसधारी कम्पनी का परमाधिकार था कि वे कम्पनी एक्ट, लेखा मानक आदि के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए अपने लेखा तैयार करें, सरकार को भुगतान किए जाने वाले एल एफ का अभिकलन करने के लिए लाइसेन्स अनुबन्ध के प्रावधान मुख्य होंगे। संलग्नक–II के परिशिष्ट–II में राजस्व एवं लाइसेन्स शुल्क के विवरण का संरूप (फार्मेट) निर्धारित है जबकि संलग्नक–III ने विवरण के तैयारी के लिए प्रतिमानकों को विनिर्दिष्ट किया। लाइसेन्स अनुबन्ध में तिमाही विवरणों के आंकड़ों तथा वार्षिक लेखा के आंकड़ों के लेखा समाधान को प्रकाशित वार्षिक लेखा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा विधिवत् संपरीक्षित तिमाही विवरणों की एक प्रति के साथ सुपुर्द किया जाना भी विनिर्दिष्ट किया। लाइसेन्स शर्तों में यह भी उल्लेख किया गया है कि राजस्व तथा एल एफ विवरण जिसे लाईसेंसधारक का ए जी आर विवरण भी कहा जाता है, को राजस्व हिस्सेदारी के लिए दिए गए राजस्वों को दर्ज करने में किए गए सभी समायोजनों को दर्शाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में किए गए अनुबंध के प्रमुख खण्ड नीचे सारणी में दिए गए हैं:–

तालिका–1.2

लेखा की तैयारी	
विनियम	**खण्ड**
राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए ए जी आर का परिकलन करते समय वायरलाइन उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व को बाहर रखा जाएगा।	18.3
राजस्व एवं देय लाइसेन्स शुल्क के अभिकलन को एक निर्धारित विवरण (ए जी आर विवरण) में दर्शाना चाहिए एवं इसकी लेखापरीक्षा कम्पनी एक्ट, 1956 के धारा 224 के अन्तर्गत नियुक्त लाईसेंसधारी के लेखापरीक्षकों द्वारा करायी जानी चाहिए।	20.4
कम्पनी एक्ट, 1956 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष के लिए लाइसेन्स शुल्क का अंतिम समायोजन लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत् प्रमाणित जी आर आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा।	20.6
तिमाही विवरणों के आंकड़ों तथा वार्षिक लेखा के आंकड़ों के लेखा समाधान को प्रकाशित वार्षिक लेखा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा विधिवत् संपरीक्षित तिमाही विवरणों की एक प्रति के साथ सुपुर्द किया जाए।	20.7

• सर्विस राजस्व (बिल योग्य राशि) को सकल दिखाया जाए एवं छूट/रिबेट के ब्यौरो को अलग से दर्शाया जाए • सेवा कर एवं बिक्री कर जिसको संग्रह किया एवं सरकार को जमा किया गया, अलग से दिखाया जाएगा • बिक्री को सकल दिखाना है तथा दिए गए छूट/रिबेट के ब्यौरे एवं बिक्री विवरणी को अलग से दिखाया जाए। • बिना उनसे सम्बन्धित व्ययों को घटाए हुए (सेट–ऑफ) ब्याज एवं लाभांश से हुए आय को अलग से दिखाना है • आय के मद वार ब्यौरे जिनकों संबंधित खर्चे में से घटाना है • रोमिंग प्रभार में प्रचालक वार प्राप्य एवं देय राशि को, प्राप्त एवं अदा किए गए रोमिंग कमीशन को एवं अन्य प्रचालकों को दिये गए/संग्रह किए गए अन्य परिवर्ती प्रभारों को दर्शाना चाहिए।	यू ए एस एल अनुबंध का अनुलग्नक–III (वार्षिक वित्तीय विवरणों के बनाने हेतु मानदंड)
लाईसेंसधारी कम्पनी द्वारा प्रचालित प्रत्येक दूरसंचार सेवा के लिए अलग से खाते रखे जाने चाहिये	22.1
लाइसेंसर यदि इस मत पर पहुँचे कि पेश किए गए विवरण या लेखे सही नहीं हैं या भ्रामक हैं तो वे लाईसेंसधारी द्वारा वहन किए जाने वाले लागत पर लेखापरीक्षक नियुक्त कर लाईसेंसधारी के लेखाओं की लेखापरीक्षा का आदेश जारी कर सकते हैं एवं इन लेखापरीक्षकों के पास वे सभी अधिकार होंगे जो कि कम्पनी एक्ट 1956 के धारा 227 के अन्तर्गत कम्पनी के संवैधानिक लेखापरीक्षकों के पास होता है। लाइसेंसर, लाईसेंसधारी कम्पनी के लेखाओं/अभिलेखों की 'विशेष लेखापरीक्षा' भी करवा सकते हैं।	22.5 एवं 22.6

तालिका–1.3

लाइसेन्स शुल्क का भुगतान	
विनियम	**खंड**
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान एल एफ का भुगतान चार तिमाही किस्तों में किया जाएगा। यह शुल्क वास्तविक राजस्व के आधार पर भुगतान किया जाएगा। (उपार्जन के आधार पर)	20.2
वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही के लिए किए गए भुगतान एवं विधिवत् भुगतान किए जाने वाली वास्तविक राशि (उपार्जन के आधार पर) के बीच आने वाले किसी अन्तर को समायोजित किया जाना चाहिए एवं तिमाही समाप्त होने के 15 दिनों के अन्दर इस अन्तर का भुगतान किया जाना चाहिये।	20.3
देय एल एफ के भुगतान में निर्धारित अवधि के बाद कोई विलम्ब होने पर वित्तीय वर्ष के आरम्भ में भारतीय स्टेट बैंक के प्राइम लेंडिग दर (पी एल आर) से दो प्रतिशत अधिक की दर से ब्याज लगेगा। यह ब्याज मासिक संयोजित किया जायेगा एवं ब्याज के परिकलन के लिए महीने के एक भाग को एक पूरा महीना माना जाएगा। एक महीने को एक अंग्रेजी कैलेण्डर महीने के रूप में माना जायगा।	20.5
बेतार योजना व समन्वय (डब्ल्यू पी सी) प्रभार (एस यू सी आदि) के लिए देय शुल्क/रॉयल्टी ऐसे समय/समयों पर एवं इस प्रकार जैसा कि डी ओ टी का डब्ल्यू पी सी विंग समय–समय पर निर्धारित करती हैं, पर देय होंगे।	20.9

1.6. लाइसेन्स शुल्क की दरें

2006–07 से 2009–10 की अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार के सेवाओं के लिए प्रचलित लाइसेन्स शुल्क का ब्योरा नीचे दिया गया है:–

तालिका – 1.4

एसेस सेवाएँ			एन एल डी	आई एल डी	बी एस ए टी	आई एस पी – आई टी	आई एस पी
सेवा क्षेत्र							
श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'					
प्रतिशत में							(प्रतिवर्ष ₹ में)
10	8	6	6	6	6	6	1

नोटः– *एसेस सेवाओं के लिए लाइसेन्स शुल्क की दरों में सभी एल एस ए पर पांच प्रतिशत की दर से लगाए जाने वाला सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू एस ओ) उगाही शामिल है। इसके अलावा, 01 अप्रैल 2004 से, प्रथम दो सेलुलर प्रचालकों को दूरसंचार परिमंडलों में चार वर्षों के लिए लाइसेन्स शुल्क में दो प्रतिशत की दर से घटौती प्रदान की गयी, इस शर्त पर कि एल एफ का न्यूनतम दर सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यू एस ओ) उगाही अर्थात पांच प्रतिशत की दर से, के समतुल्य होगा।*

परन्तु अवसंरचना प्रबंधक श्रेणी–I (आई पी–I) सेवाओं के लिए लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं थी एवं सिर्फ दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) में पंजीकरण पर्याप्त था।

1.7. स्पेक्ट्रम का आबंटन व स्पेक्ट्रम यूसेज प्रभार

आरम्भ में, यू ए एस एल/सी एम टी एस लाइसेंस के प्रदान करने के साथ, जी एस एम प्रचालकों के लिए 2×4.4 मेगा हर्टज एवं सी डी एम ए प्रचालकों के लिए 2×2.5 मेगा हर्टज की शुरूआती स्पेक्ट्रम डी ओ टी द्वारा आबंटित की जानी थी। इन शुरूआती स्पेक्ट्रम के अलावा अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का आबंटन उपभोक्ता के आधार से संबद्ध था। आबंटन के इस प्रक्रिया को प्रशासनिक आबंटन कहा गया एवं यह वर्ष 2010 तक जारी रही।

मोबाइल (बेतार) सेवाएँ प्रदान करने वाले लाईसेंसधारियों को एल एफ के अतिरिक्त, डी ओ टी को स्पेक्ट्रम प्रयोग प्रभार (एस यू सी) का भुगतान करना पड़ता है। देय एस यू सी की दरें आबंटित स्पेक्ट्रम के प्रकार एवं परिमाण के साथ संबद्ध होती हैं। 31 मार्च 2010 तक लागू दरें नीचे दर्शायी गयी हैं:

तालिका – 1.5

ए जी आर के प्रतिशत के रूप में एस यू सी (वायरलाइन उपभोक्ता से प्राप्त राजस्व को छोड़कर)

जी एस एम सेवाएँ		सी डी एम ए सेवाएँ	
01 अगस्त 99 से 31 मार्च 2010 तक		25 जनवरी 2001 से 31 मार्च 2010 तक	
स्पेक्ट्रम	दर (प्रतिशत में)	स्पेक्ट्रम	दर (प्रतिशत में)
2×4.4 मेगा हर्टज	2	2×5.0 मेगा हर्टज	2
2×6.2 मेगा हर्टज	3	2×6.25 मेगा हर्टज	3
2×10 मेगा हर्टज	4	2×10.0 मेगा हर्टज	4

उपरोक्त मुख्य स्पेकट्रम के अलावा, सेलुलर प्रचालको को माइक्रोवेव एसेस एवं माइक्रोवेव बैकबोन स्पेक्ट्रम[6]

6 माइक्रोवेव संचार से आशय रेडियों तरंग का उपयोग कर सूचना प्रेषित करने की प्रौद्योगिकी से है। मोबाइल संचारों में माइक्रोवेव प्रौद्योगिकी का बहु परिनियोजन मोबाइल बैकहॉल एवं साथ ही साथ बैकबोन नेटवर्क में पॉएंट–टू–पॉएंट (पी टी पी) रेडियो फ्रीक्वेनसी (आर एफ) लिंक मुहैया कराने के लिए किया जाता है। मोबाइल बैकहॉल, नेटवर्क अवसंरचना का वह हिस्सा है जो

का भी आबंटन किया गया था। माइक्रोवेव एसेस एवं माइक्रोवेव बैकबोन के लिए एस यू सी की दरें 3 नवम्बर, 2006 से परिशोधित की गई थी परन्तु इनको जी एस एम प्रचालकों ने चुनौती दी थी जबकि सी डी एम ए प्रचालकों ने इसे स्वीकार कर लिया था तथा मामला न्यायाधीन था।

1.8. डी ओ टी द्वारा संग्रह किए गये राजस्व

2002–03 से 2009–10 तक डी ओ टी द्वारा वर्ष वार संग्रह किए गए राजस्व हिस्सेदारी को नीचे दर्शाया गया है:

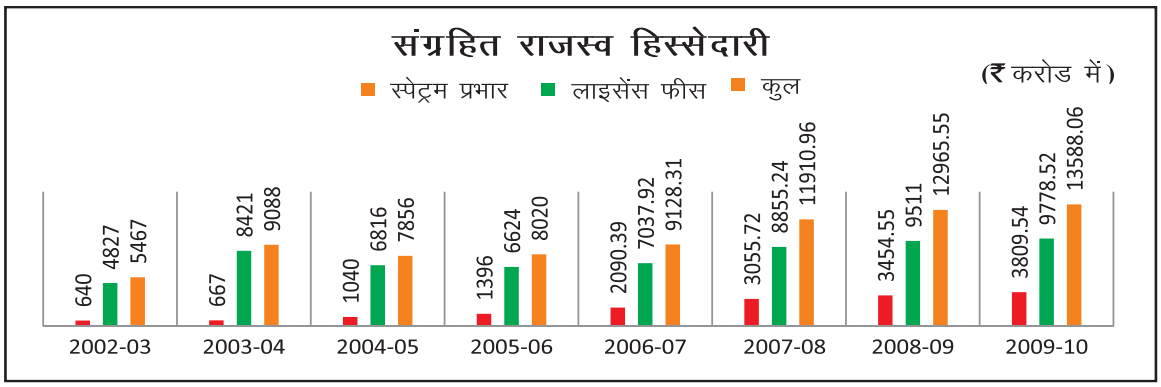

(स्रोत : *डी ओ टी वार्षिक रिपोर्ट*)

1.9. लाइसेन्स शुल्क एवं एस यू सी के संग्रह एवं लेखाकरण के लिए डी ओ टी में की गयी व्यवस्थाएँ

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से राजस्व हिस्सेदारी की वसूली की प्रक्रिया में निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियाँ शामिल है:

- लाइसेन्स शुल्क एवं स्पेक्ट्रम प्रभार का संग्रह–संचार लेखा नियंत्रक (सी सी ए) कार्यालय में जमा करना
- सी सी ए द्वारा सकल राजस्व से कटौती का दावा करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा सुपुर्द किए गए प्रमाण दस्तावेजों का सत्यापन।
- प्रचालकों के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं एवं सी सी ए द्वारा प्रस्तुत किए गए सत्यापन प्रतिवेदनों के आधार पर डी ओ टी द्वारा राजस्व हिस्सेदारी (आर एस) का निर्धारण एवं मांग पत्रो को जारी करना।

एसेस एवं कोर नेटवर्कों के बीच इन्टरकनेक्टिविटी मुहैया कराता है। बैकबोन नेटवर्क का उपयोग विभिन्न भौगोलिक स्थानों में स्थित विभिन्न नोडों को इन्टरकनेक्ट करने के लिए किया जाता है।